न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 70/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2023/7

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट्स
रताराम पुत्र वागाजी जाति देवासी निवासी मोरी गांव तहसील बाली जिला पाली राज.	बनाम	1. वेनाराम पुत्र कानाराम जाति मेघवाल निवासी गुन्दोज तहसील पाली जिला पाली राज. 2. नायब तहसीलदार बेड़ा तहसील बाली जिला पाली राज.

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत बखिलाफ बेड़ा चक।। के नामान्तरकरण संख्या 1853 स्वीकृती दिनांक 30.08.2023 जो नायब तहसीलदार बेड़ा द्वारा स्वीकृत किया गया।

उपस्थिति :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री विरमदेव सिंह सोनीगरा उपस्थित।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी उपस्थित।

–:निर्णय:–

दिनांकः 29.11.2024

अपीलाण्ट रताराम पुत्र वागाजी ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध ग्राम बेड़ा चक।। के नामान्तरकरण संख्या 1853 स्वीकृती दिनांक 30.08.2023 जो नायब तहसीलदार बेड़ा द्वारा स्वीकृत किया गया से व्यथित होकर प्रस्तुत की।

अपील अनुसार अपीलाण्ट के नाम की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम बेड़ा द्वितीय पटवार हल्का बेड़ा द्वितय तहसील बाली जिला पाली राज. में खसरा नम्बर 3797 रकबा 4.0400 हैक्टर किस्म नहरी दोयम की आयी हुई स्थित हैं। उक्त कृषि भूमि के अड़ोअड ही अपीलाण्ट की पत्नी हंजा पत्नी रताराम जाति देवासी निवासी मोरी के नाम की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 3797/1 रकबा 4.0500 हैक्टर किस्म नहरी दोयम की आई हुई स्थित हैं। तथा अपीलाण्ट की खातेदारी कृषि भूमि के अड़ोअड़ ही खसरा संख्या 3797/3 की कृषि भूमि खातेदार दिनेश कुमार पुत्र हंसाराम जाति मेघवाल, तेजाराम पुत्र हंसाराम, भंवरलाल पुत्र हंसाराम, चम्पादेवी पुत्री हंसारामजी तमाम जातिगण मेघवाल निवासीगण बेड़ा तहसील बाली जिला पाली राज. की शामलाती कृषि भूमि के खसरा संख्या 3797/3 रकबा 1.2800 हैक्टर की कृषि भूमि स्थित हैं। उक्त कृषि भूमि को दिनांक 12.07.2023 को उप पंजीयक कार्यालय बेड़ा में दिनेश कुमार पुत्र हंसाराम मेघवाल निवासी बेड़ा जरिये आम मुख्यतयारनामा भंवरलाल पुत्र हंसाराम तेजाराम पुत्र हंसाराम, चम्पादेवी पुत्री हंसाराम धर्मपत्नी सकाराम चामुण्डेरी, तमाम जाति से मेघवाल निवासीगण बेड़ा तह. बाली जिला पाली द्वारा बेचान खातेदारी कृषि भूमि का उपस्थित होकर विक्रय विलेख पंजीबद्ध करवा दिया जो दस्तावेज वेनाराम पुत्र कानाराम जाति मेघवाल निवासी गुन्दोज तहसील पाली जिला पाली के पक्ष में निष्पादित करवा दिया। तथा जिसके दस्तावेज संख्या 202301474000887 पर पंजीबद्ध किया गया है, जबकि मौके पर उक्त दिनेश कुमार, तेजाराम भंवरलाल व चम्पादेवी का पूर्व में भी न तो कब्जा रहा है न ही आज दिन तक कब्जा है बिना मौके की स्थिति को देखते हुए बिना कब्जे के ही म्यूटेशन राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर दिया गया है जो सरासर गलत व निराधार है।

अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली में राजस्व अपील संख्या 06/2023 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 22.06.1976 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है जो विचाराधीन हैं। उक्त वाद में श्रीमान न्यायालय द्वारा मौके व राजस्व रेकर्ड में यथा स्थिति के आदेश पारित किये गये है जिसकी नकल साथ सलंग्न हैं तथा पटवारी हल्का, बेड़ा व नायब तहसीलदार बेड़ा द्वारा बिना पक्षकार रेस्पोडेण्ट संख्या 1

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

व उनके बेचानकर्ता के बिना कब्जे के आधार पर राजस्व रेकर्ड में म्यूटेशन दर्ज किया गया है। जिसको खारिज किया जाना उचित एवं न्याय संगत हैं। यदि उक्त म्यूटेशन का खारिज नहीं किया जाता तो अपीलाण्ट को अपूर्णीय क्षति होगी तथा अपने विधिक अधिकारों से वंचित हो जाएगा जिसका मूल्यांकन करना असंभव हैं। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि खसरा संख्या 3797 / 3 रकबा 1.2800 हैक्टर का राजस्व रेकर्ड में खातेदार वेनाराम पुत्र कानाराम मेघवाल निवासी गुन्दोज के नाम से भरा गया म्यूटेशन खारिज फरमावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को सम्मन जारी किये गयें। अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकॉर्ड तलब किया गया जो प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी ने वकालतनामा पेश किया।

अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस सुनी गई, अपीलाण्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट की पत्नी हंजा पत्नी रताराम जाति देवासी निवासी मोरी के नाम की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 3797 / 1 रकबा 4. 0500 हैक्टर किस्म नहरी दोयम की आई हुई स्थित हैं। तथा अपीलाण्ट की खातेदारी कृषि भूमि के अड़ोअड़ ही खसरा संख्या 3797 / 3 की कृषि भूमि खातेदार दिनेश कुमार पुत्र हंसाराम जाति मेघवाल, तेजाराम पुत्र हंसाराम, भंवरलाल पुत्र हंसाराम, चम्पादेवी पुत्री हंसारामजी तमाम जातिगण मेघवाल निवासीगण बेड़ा तहसील बाली जिला पाली राज. की शामलाती कृषि भूमि के खसरा संख्या 3797 / 3 रकबा 1.2800 हैक्टर की कृषि भूमि स्थित हैं। उक्त कृषि भूमि को दिनांक 12. 07.2023 को उप पंजीयक कार्यालय बेड़ा में दिनेश कुमार पुत्र हंसाराम मेघवाल निवासी बेड़ा जरिये आम मुख्यतयारनामा भंवरलाल पुत्र हंसाराम तेजाराम पुत्र हंसाराम, चम्पादेवी पुत्री हंसाराम धर्मपत्नी सकाराम चामुण्डेरी, तमाम जाति से मेघवाल निवासीगण बेड़ा तह. बाली जिला पाली द्वारा बेचान खातेदारी कृषि भूमि का उपस्थित होकर विक्रय विलेख पंजीबद्ध करवा दिया जो दस्तावेज वेनाराम पुत्र कानाराम जाति मेघवाल निवासी गुन्दोज तहसील पाली जिला पाली के पक्ष में निष्पादित करवा दिया। तथा जिसके दस्तावेज संख्या 202301474000887 पर पंजीबद्ध किया गया है, जबकि मौके पर उक्त दिनेश कुमार, तेजाराम भंवरलाल व चम्पादेवी का पूर्व में भी न तो कब्जा रहा है न ही आज दिन तक कब्जा है बिना मौके की स्थिति को देखते हुए बिना कब्जे के ही म्यूटेशन राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर दिया गया है जो सरासर गलत व निराधार है। अतः नामान्तरकरण संख्या 1853 दिनांक 30.08.2023 को खारिज फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 ने बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रार्थी / अपीलान्ट वादग्रस्त भूमि का न तो वर्तमान में खातेदार है और न कभी रहा हैं। यह भी कि बेचान दस्तावेज दिनांक 12.07.2023 में विक्रेता द्वारा क्रेता अर्थात रेस्पोडेंट को कब्जा सुपुर्दगी का स्पष्ट अंकन हैं। विद्वान अधिवक्ता ने बहस में यह भी जाहिर किया कि पंजीबद्ध दस्तावेज के अनुषंगी खोले गए नामान्तरण में कब्जें की जांच वैधानिक रुप से आज्ञापक भी नहीं हैं। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित नजीरें प्रस्तुत कीः–

1. विमलादेवी बनाम प्रकाशचन्द्र व अन्य, न्यायालय राजस्व मण्डल, निर्णय दिनांक 15.02. 2006 (RRT 2006(2), Page No. 1227)
2. बेगाराम बनाम मदनसिंह व अन्य, न्यायालय राजस्व मण्डल, निर्णय दिनांक 17.03.2006 (RRT 2006-07, Page No. 292)

हमने प्रस्तुत अपील सलंग्न दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गंभीरता से मनन किया एवं विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीरों का सम्मानपूर्वक विवेचन किया गया। प्रकरण में यह निर्विवाद तथ्य है कि अपीलान्ट द्वारा पंजीबद्ध विक्रय दस्तावेज दिनांक 12.07.2023 के अनुक्रम में क्रेता / रेस्पोडेण्ट के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1853 दिनांक 30.08.2023 बजतरफ ख.स. 3797 / 3 को इस आधार पर चुनौति दी गई है कि क्रेतागण का उक्त भूमि पर कब्जा नहीं है अपितु अपीलाण्ट का कब्जा काश्त हैं। अव्वल तो अपीलाण्ट ने वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेण्ट की बजाय खुद के कब्जा काश्त के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं साथ ही, "प्रतिकुल कब्जे" के आधार पर ऐसे नामान्तरकरण को चुनौति दिया जाना भी वैधानिक नहीं हैं, जो एक रिकॉर्डेड खातेदार द्वारा जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख किये हस्तान्तरण के क्रम में खोला और स्वीकार किया गया हैं। लिहाजा, अपीलाण्ट द्वारा खसरा नम्बर 3797 / 3, मौजा बेडा।। के संबंध में स्वीकृत

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)
P.I.O.

Scanned with OKEN Scanner

नामान्तरकरण संख्या 1853 दिनांक 30.08.2023 के विरुद्ध प्रस्तुत हस्तगत नामान्तरकरण अपील सारहीन होने से खारिज की जाती हैं।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया अधीनस्थ न्यायालय को रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला पाली